

प्रेस नोट

10.10.2021

ट्रक वाहन में कूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रही 15 राशि मेवशी बरामद, 03 तश्कर गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.10.2021 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बरहज पुलिया के पास से एक ट्रक वाहन (यूपी 25 टी 9749) में कूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रही 15 राशि भैस बरामद कर तीन अभियुक्तों छोटे जां पुत्र हकीम जां, सादीब पुत्र अनीश निवासीगण शेसवानी टोला थाना बारादरी जनपद बरेली, इन्तियाज पुत्र मूर्तजा निवासी जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/21 धारा 11 पशुकूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त अभियुक्तों में से एक अभियुक्त इन्तियाज पुत्र मूर्तजा के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बरामद ट्रक वाहन को अन्तर्गत एमवी एक्ट सीज किया गया।

अभियुक्तगण—

1. छोटे जां पुत्र हकीम जां निवासी शेसवानी टोला थाना बारादरी जनपद बरेली।
2. सादीब पुत्र अनीश निवासी शेसवानी टोला थाना बारादरी जनपद बरेली।
3. इन्तियाज पुत्र मूर्तजा निवासी जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

बरामदगी—

1. ट्रक वाहन (यूपी 25 टी 9749)।
2. एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
3. 15 राशि मवेशी।

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

आज दिनांक 10.10.2021 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बरहज कुटी के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों सचिन पुत्र कैलाश निवासी जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद, मनीष सिंह पुत्र बंसबहादुर सिंह निवासी करमी थाना चिरैयाकोट के कब्जे फर्जी नम्बर प्लेट की दो मोटरसाइकिल एक टीवीएस अपाचे व एक बजाज पल्सर व उपरोक्त सचिन पुत्र कैलाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 550/21 धारा 41,411,413,419,420 भादवी0 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया। उपरोक्त अभियुक्त सचिन के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. सचिन पुत्र कैलाश निवासी जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. मनीष सिंह पुत्र बंसबहादुर सिंह निवासी करमी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

बरामदगी—

1. एक अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर।
2. 02 मोटरसाइकिल (एक टीवीएस अपाचे व एक बजाज पल्सर)

03 वांछित अभियुक्त गिरफतार—

आज दिनांक 10.10.2021 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान भातकोल मोड़ से मु0आ0सं0 459 /21 धारा 147,323,504 व 3(1)द एससी/एसटी एकट में वांछित अभियुक्तगण शमसाद पुत्र मूमताज, आरिफ पुत्र शमसाद, अजित गिरी पुत्र गौरीशंकर निवासीगण चकभदसा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफतार कर चालान न्यायालय किया गया।